

प्रेषक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

अध्यक्ष / सचिव

बी०एम० मेमोरियल डिग्री कॉलेज, ककड़ही किशनपुर, मदरम, जहांगीरगंज, अम्बेडकरनगर।
सोसायटी / ट्रस्ट – सिंगरी देवी मेमोरियल एन्युकेशनल सोसाइटी, ग्राम व पो०-रामनगर, तह०-आलापुर,
अम्बेडकरनगर।

पत्रांक:-प्राशिप / परिषद / 2022 / 5845

विषय:- सत्र 2022-23 हेतु संस्थान को अनापत्ति पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया (पी०सी०आई०) के पत्रांक 14-56 / 2022 (Approval Process for 2022-23 as) / 11621-23 दिनांक 21-6-2022 एवं मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 31-5-2022 को संदर्भित करने का काब्द करे, जिसके अनुकम में सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु आप हारा सहमति / अनापत्ति निर्गत किये जाने के संबंध में अनुरोध किया गया है।

सूच्य है कि प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई संस्थाओं को सम्बद्धता प्रदान करता है, एवं इस हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली / पी०सी०आई०, नई दिल्ली से प्रश्नगत संस्थान एवं पाठ्यक्रम के अनुमोदनोपरांत ही संस्थान की सम्बद्धता पर विचार करता है।

मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 31-5-2022 एवं पी०सी०आई०, नई दिल्ली के उक्त पत्र संदर्भ संख्या 14-56 / 2022 (Approval Process for 2022-23 as) / 11621-23 में दिये गये निर्देशों के अनुकम में राज्य स्तरीय समिति हारा दी गयी संस्था को सहमति / अनापत्ति पत्र मा० उच्चतम न्यायालय में योजित एस०एल०पी० नं० 406 / 2022 में पारित अंतिम निर्णय के प्रतिवध के साथ प्रदान की जा रही है कि संस्था हारा सत्र 2022-23 हेतु फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली हारा प्रदत्त अनुमोदन पत्र, सत्र 2022-23 हेतु परिषद हारा आहूत सम्बद्धता विस्तार की बैठक से पूर्व प्राप्त कराया जाना अनिवार्य होगा। उपरोक्त अवधि तक यदि संस्था हारा अनुमोदन पत्र परिषद कार्यालय में प्राप्त नहीं कराया गया तो ऐसी स्थिति में संस्था को सत्र 2022-23 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान करने पर विचार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार निर्गत सहमति पत्र प्रतीकात्मक है, और उपरोक्तानुसार वर्णित शर्तों को पूर्ण किये जाने पर ही मान्य होगा। साथ ही शपथ पत्र में दी गई जानकारी तथा पी०सी०आई० एवं परिषद हारा निर्धारित शर्तों / मानकों के अनुसार संस्था का स्थलीय निरीक्षण एवं अभिलेखीय सत्यापन एक माह के अंदर सुनिश्चित किया जायेगा। अभिलेखों के सत्यापन की पुष्टि न होने तथा स्थलीय निरीक्षण में मानकों / शर्तों के पूर्ण न किये जाने पर अनापत्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाएगी।

भवदीय,

(सुनील फुमार सोनकर)
सचिव

प०स०- प्राशिप / परिषद / 2022 / 5846-47

तददिनांक-

14-7-2022

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प०, कानपुर।
- राजिस्ट्रार-कम-सेकेटरी, फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, कम्बाइंड काउसिंग विलिंग, टेम्पल लेन, कोटला रोड, एवान-६-गालिव मार्ग, नई दिल्ली- 110 002

(सुनील फुमार सोनकर)
सचिव